

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 30/2018

प्रार्थी-

गृह फाईनेंस लिमिटेड, शाखा
जोधपुर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. श्री गोविन्दसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री लिखमाराम निवासी प्लॉट न. 62, सेक्टर-ए, राज बाग योजना, सुखराम नगर, सूरसागर, जोधपुर
2. श्रीमति विमला कंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह निवासी प्लॉट न. 62, सेक्टर-ए, राज बाग योजना, सुखराम नगर, सूरसागर, जोधपुर
3. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र मांगीलाल वार्ड न. 14, गांधीपुरा, बालोतरा
4. श्री पारसमल राजपुराहित पुत्र श्री सूजाराम वार्ड न. 15, लोमड़ी बेरा, बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1. श्री राघवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22/01/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण गोविन्दसिंह राजपुरोहित व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण गोविन्दसिंह राजपुरोहित व अन्य की प्रार्थना पर




+up

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

एवं अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 85,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा कस्बा बालोतरा में स्थित अचल सम्पत्ति विक्रय पत्र सं. 724, पत्रावली सं. 307/1974, प्लॉट न. 150, वार्ड न. 14, गांधीपुरा बालोतरा कुल क्षेत्रफल 215.91 वर्गगज एवं उस पर निर्मित भवन सहित को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 17.02.2010 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2018 तक बकाया शेष रुपये 7595946.4/- भुगतान नहीं करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के कब्जे में स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 85,00,000/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 10.03.2018 तक कुल 7595946.4/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये हैं तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा द्वारा





जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त सम्पत्ति कस्बा बालोतरा में स्थित अचल सम्पत्ति विक्रय पत्र सं. 724, पत्रावली सं. 307/1974, प्लॉट न. 150, वार्ड न. 14, गांधीपुरा बालोतरा कुल क्षेत्रफल 215.91 वर्गगज एवं उस पर निर्मित भवन सहित का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर